राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 जयपुर, दिनांक **16.04.2021**

समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर्स

विषयः–**राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।**
संदर्भः–समसंख्यक अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 13.04.2021

वित्तीय वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा संख्या 244 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीजीएचएस की भांति **आरजीएचएस** लागू किये जाने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की अनुपालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.04.2021 के द्वारा **आरजीएचएस** पोर्टल **(www.rghs.rajasthan.gov.in)** पर दिनांक 10.04.2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

उक्त रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही किये जाने की सुविधा सभी सरकारी कार्यालयों के कम्प्यूटर्स पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। सभी कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे कार्यालय के कम्प्यूटर्स पर उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायें। रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही मोबाईल (स्मार्ट फोन) के द्वारा भी की जा सकती है।

यदि कोई कार्मिक अपने निवास के निकट स्थित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से उक्त रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कराना चाहे, तो आवेदक के द्वारा अपने निवास स्थल के निकटस्थ ई–मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क 20 रूपये का भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकती है।

रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला एवं ब्लॉक कार्यालय अथवा निम्न **हैल्पलाईन/हैल्पडेस्क** से भी सम्पर्क किया जा सकता हैः–

हैल्पलाईन ई–मेल एड्रेस : helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in
हैल्पलाईन नम्बर (टोल फ्री) : 0141–2221424, 25

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग
3. रक्षित पत्रावली

16/4/2021
संयुक्त शासन सचिव

F.5 (5) 20